

**RIFLE FACTORY ISHAPORE  
OFFICE CIRCULAR**

NO- 374


DTD-04-08-2018

**Sub- Holding of Pension Adalat**

- Ref- 1) OFB Letter No -307/PEN/Per/Policy, Dtd- 30-07-2018**  
**2) MoD F.No -14(1)/2018-D (Coord/DDP), Dtd- 20-07-2018**  
**3) DoPPW Secretary D.O No-42/11/2018-P&PW(G), Dtd-10-07-2018**

In Compliance to Govt. Orders quoted above, this office will conduct Pension Adalat at RFI Auditorium on 18<sup>th</sup> September 2018. The program will start from 10 a.m and will end till all grievances are disposed. It is for information to all pensioners of RFI to forward their grievances relating to pensions/family pensions etc. to this Factory by 14<sup>th</sup> Aug 2018. The grievances should be forwarded under heading "**Grievance for Pension Adalat**". The Grievances from Pensioners will be collected by this office. The grievances for the Adalat would be shortlisted and the cases be taken up in the Adalat would be intimated to the individuals. One can forward their grievances to this office through any of the following modes: -

- 1) Through mail ID of Pension Cell/RFI - **rfipc.ofb@ofb.gov.in**
- 2) Through Post, addressed to Sri O.P.Rawat, AGM & Nodal Officer Pension, Rifle Factory Ishapore, P.O- Nawabganj, Dist- 24 Pgs (N), PIN-743144
- 3) By dropping grievances in the Box provided at Main Gate (inside Reception Room).

  
(O.P.RAWAT)  
AGM & Nodal Officer Pension  
For General Manager

**Copy for circulation to: -**

- 1) All HOS, Members of Unions & Associations - It is requested for wide Publicity to all concerned
- 2) HOS/ITC - It is requested to upload the Circular at RFI Portal (<http://rfi.nic.in>)

राइफल फ़ैक्टरी इशापुर  
परिपत्र

संख्या- 374

दिनांक-04-08-2018

विषय- पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना

- संदर्भ- 1) OFB Letter No -307/PEN/Per/Policy, Dtd- 30-07-2018  
2) MoD F.No -14(1)/2018-D (Coord/DDP), Dtd- 20-07-2018  
3) DoPPW Secretary D.O No-42/11/2018-P&PW(G), Dtd-10-07-2018

उपरोक्त सरकारी आदेशों का अनुपालन करते हुए, राइफल फ़ैक्टरी इशापुर दिनांक-18-09-2018 को RFI Auditorium में पेंशन अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम 10 बजे से प्रारम्भ होगा एवं सभी शिकायतों का निपटारा करने के पश्चात समाप्त होगा। राइफल फ़ैक्टरी इशापुर के सभी पेंशन भोगी से अनुरोध है कि वे अपने पेंशन / पारिवारिक पेंशन से संबंधित शिकायतें आदि, इस फ़ैक्टरी में 14 Aug 2018 तक जमा कर दें। सभी शिकायतें शीर्षक "पेंशन अदालत के लिए शिकायत" के अंतर्गत जमा करें। सभी शिकायतें इस आफिस के द्वारा जमा किए जाने के पश्चात shortlisting के बाद पेंशन अदालत में लिया जाएगा एवं तदनुसार लोगो को सूचित किया जाएगा। शिकायते निम्नांकित किसी भी तरीके से इस कार्यालय में दिये जा सकते हैं :-

- 1) पेंशन अनुभाग के Mail ID के द्वारा - rfipc.ofb@ofb.gov.in
- 2) पोस्ट के द्वारा (सम्बोधन श्री ओ पी रावत, अपर महाप्रबंधक एवं सक्षम पदाधिकारी पेंशन, राइफल फ़ैक्टरी इशापुर, पोस्ट - नवाबगंज, जिला - उत्तर 24 परगना, पिन कोड -743144 को किया जाय।)
- 3) शिकायत पेटी में जमा किया जा सकता है (जो की स्वागत रूम, मेन गेट पर रखा गया है)।

  
(ओ पी रावत)

अपर महाप्रबंधक एवं सक्षम पदाधिकारी पेंशन,  
कृते महाप्रबंधक

प्रति वितरण हेतु -

- 1 सभी अनुभाग प्रमुख, यूनियन एवं एसोसिएशन के सदस्यगण - सभी संबंधितों में व्यापक प्रचार हेतु निवेदन किया जाता है।
- 2 अनुभाग प्रमुख / आई टी सी - आर एफ आई पोर्टल (<http://rfi.nic.in>) में इस परिपत्र को अपलोड करने हेतु निवेदन किया जाता है।